संख्या:38/2026/515/35-4-2026/35-4002(003)/73/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद- हरदोई में निम्नलिखित कार्यों की रू. 5490.30 लाख (रूपये चौवन करोड नब्बे लाख तीस हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 2634.00 लाख (रूपये छब्बीस करोड चौंतीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	जिन्दपीर चैराहा से गिप्शनगंज रेलवे फाटक तक ओवर ब्रिज के दोनो ओर एक कोट पेन्टिंग कार्य।	900	18.37	9.00
2	माल गोदाम चुंगी से नानवानी कोल्ड स्टोर होते हुए महर्षि वाल्मीकी मन्दिर के आगे तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	1100	26.01	12.00
3	सिनेमा चैराहे से रफी अहमद किदवई इण्टर कालेज तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	1000	24.79	12.00
4	आनन्द टाकीज से कलेक्ट्रेट गेट नं0.03 तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	505	11.12	5.00
5	रेलवेगंज में सरकुलर रोड से पंजाब नेशनल बैंक वाली गली, सेन्ट्रल बैंक वाली गली एंव इण्डियन बैंक वाली गली होते हुए रेलवे स्टेशन रोड तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	620	18.83	9.00
6	मुन्ने मियां चैराहे से हिन्दी पाठशाला तिराहे तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	506	11.59	6.00
7	नुमाइश चैराहा से डाक बंगला होते हुए पोस्ट आफिस तिराहा से जिलाधिकारी कार्यालय गेट संख्या-01 के सामने तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	830	30.57	15.00
8	डी0एम0 चैराहे से रेलवेगंज तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	2100	89.47	43.00
9	एस0पी0 तिराहा से जिन्दपीर चैराहा ओवर ब्रिज तक एक	2000	81.93	39.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कोट पेन्टिंग कार्य।			
10	नुमाइश चैराहा से बड़ा चैराहा होते हुए बिलग्राम चुंगी तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	1800	72.45	35.00
11	हिन्दी पाठशाला से बड़ा चैराहा सिनेमा चैराहा होते हुए अस्पताल रोड गाधी तिराहा तक एक कोट पेन्टिंग कार्य।	2600	81.53	39.00
12	डाक बंगला तिराहा से सोल्जर बोर्ड चैराहा तक कचेहरी मार्ग पर एक कोट पेन्टिंग कार्य।	530	28.12	13.00
13	विकास खण्ड टोडरपुर में फत्तेपुर गयंद से वारिपुर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	2050	189.49	91.00
14	विकास खण्ड शाहाबाद में शर्मा बिलालपुर मार्ग से जूनियर हाईस्कूल शर्मा तक इण्टरलाकिंग कार्य	635	51.57	25.00
15	विकास खण्ड शाहाबाद में ग्राम गनुआपुर बारी में बादाम राठौर के मकान से रतिराम मिश्रा के मकान होते हुए रामसूरत शुक्ला के मकान के निकट शिवमंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	515	49.2	24.00
16	विकास खण्ड पिहानी में ग्राम अरूआ में भोले के मकान से हरी कुशवाहा के मकान होते हुए प्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	510	47.92	23.00
17	विकास खण्ड टोडरपुर में ग्राम सेमरावां में करावां सम्पर्क मार्ग से प्राइमरी पाठशाला सेमरावां तक इण्टरलाकिंग कार्य।	600	53.43	26.00
18	विकास खण्ड टोडरपुर में फत्तेपुर गाजी में आंझी आलमनगर मार्ग से हरिपाल सिंह के मकान होते हुए सोरल शर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	600	54.59	26.00
19	विकास खण्ड शाहाबाद में ग्राम पंचायत नगला खानपुर में आगमपुर लोनार मार्ग से नगला होते हुए सरकारी टयूबवेल तक इण्टरलाकिंग कार्य।	560	50.98	24.00
20	ग्राम अहिरोरी से बाका तालाब होते हुये थोकमाधो नहर पटरी तक इण्टरलाकिंग एंव नाली निर्माण कार्य	1100	83.45	40.00
21	पचकोहरा चैराहे से मढिया तक इण्टरलाकिंग एंव नाली निर्माण कार्य	880	58.98	28.00
22	ग्राम खुटेहना में नहर पटरी से मुन्ना सिंह के प्लाट तक इण्टरलाकिंग एंव नाली निर्माण कार्य	500	43.24	21.00
23	ग्राम बघराई से मुरौली जटपुरा सम्पर्क मार्ग से सरस्वती पब्लिक शिक्षा संस्थान तक इण्टरलाकिंग एंव नाली निर्माण कार्य	640	58.63	28.00
24	मुख्य नेवादा मार्ग से सरकारी नलकूप ग्राम समजलपुर तक इण्टरलाकिंग	700	64.25	31.00
25	ग्राम चैधरियापुर मोड़ से गोवर्धनी माता मन्दिर होते हुए ईदगाह तक इण्टरलाकिंग	675	60.12	29.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

26	ग्राम पंचायत धोंधी में चैनूपुरवा से धोंधी गडवा तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य	615	49.83	24.00
27	ग्राम करीमनगर जलालपुर सचिवालय से लोधनपुरवा सम्पर्क मार्ग	700	47.33	23.00
28	ग्राम देहेपुरवा से पप्पू वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग (पेंग घुरई पुरवा सम्पर्क मार्ग)	700	53.35	26.00
29	कासिमपुर असही आजमपुर मार्ग किमी0 7 से इकलाख नर्सिंग होम संतोषा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	960	87.47	42.00
30	अटुका अकबरपुर मार्ग अंटवा मार्ग से ताल्हू मजरा (अकबरपुर) का इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	870	68.35	33.00
31	ग्राम पंचायत काकेन्दुआ में खड़ण्जा रोड से रामदास पूर्व प्रधान के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	550	47.41	23.00
32	बेनीगंज अमरगंज मार्ग पर रेलवे फाटक से ग्राम पिपरी तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	820	56.97	27.00
33	ग्राम पंचायत बेरूआ में बेरूवा बिराहिमपुर खडंजा से पप्पू पाण्डेय के हाता के पास होते हुए अम्बेडकर पार्क तक।	535	57.14	27.00
34	बेरूवा तिराहे से ललुआ खेड़ा पुलिया तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1050	70.15	34.00
35	गौरी से आदमपुर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	882	70.46	34.00
36	गैसिंहपुर में होरीलाल इण्टर कालेज से माइनर पुलिया तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	560	37.71	18.00
37	**ग्राम पुष्पताली मजरा भड़ायल वि0ख0 टड़ियावां में सामुदायिक केन्द्र/उत्सव स्थल।**	1 अदद	99.37	48.00
38	ग्राम पुष्पताली मजरा भड़ायल वि0ख0.टड़ियावां में जल निकासी हेतु नाली निर्माण	120	15.33	7.00
39	ग्राम धोबिया विकास खण्ड हरियावां में प्राथमिक विद्यालय धोबिया के पास से आश्रम रोड धोबिया तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	872	68	33.00
40	डब्लू के मकान से सार्वजनिक शौचालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण ग्राम एकघरा विकास खण्ड अहिरोरी।	540	38.79	19.00
41	गौशाला से ग्राम देवीपुरवा मजरा थोकखाला तक डामरीकरण।	1420	89.58	43.00
42	राम राखन दीक्षित के मकान से सुभाष मिश्रा के मकान तक ग्राम सरावर विकास खण्ड पिहानी इण्टरलाकिंग कार्य।	510	37.27	18.00
43	ईमामपुर से ग्राम कंजड़पुरवा विकास खण्ड हरियावां तक इण्टरलाकिंग ।	1130	79.68	38.00
44	ग्राम साखिन विकास खण्ड टड़ियावां में परिक्रमा मार्ग से ग्राम बरबटापुर तक इण्टरलाकिंग।	845	67.1	32.00
45	विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम कल्याणपुर में विजय फौजी के घर से गोविन्द के घर होते हुये मानसिंह	509	47.99	23.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एंव नाली का निर्माण कार्य			
46	विकास खण्ड मल्लावां में बरौना डामर सम्पर्क मार्ग से अकबरपुर होते हुए भड़वल डामर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड एंव नाली का निर्माण कार्य	665	49.53	24.00
47	विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम बीकापुर में प्राथमिक विद्यालय से अशोक कुशवाहा व राज बहादुर शर्मा के घर से होते हुए मनोज के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एंव नाली का निर्माण कार्य	590	49.23	24.00
48	विकास खण्ड मल्लावा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कंथरी में शिवशंकर के घर से विरेन्द्र सक्सेना के घर से होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य	561	39.62	19.00
49	विकास खण्ड बिलग्राम के अन्तर्गत ग्राम परसोला में बिलग्राम.कन्नौज डामर रोड से सन्तोष सिंह के घर से होते हुए जसवन्त के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एंव नाली का निर्माण कार्य।	590	39.93	19.00
50	विकास खण्ड माधौगंज ग्राम पंचायत फत्तेपुर चौगवां मजरा नेकवापुर (सुभाष के घर) से ग्राम मरूखापुर (तुलाराम के घर) तक इण्टरलाकिंग रोड का एंव नाली का निर्माण कार्य	560	37.31	18.00
51	विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाबटमऊ के मजरा भूड़मड़ैया में अमर सिंह के घर से ग्राम लसगरीपुर में इदरीश के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एंव नाली का निर्माण कार्य।	505	35.77	17.00
52	विकास खण्ड बिलग्राम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिरौरी के मजरा मुर्सफाबाद में रामपाल के घर से झालापुरवा डामर रोडतक इण्टरलाकिंग रोड एंव नाली का निर्माण कार्य।	595	44.33	21.00
53	विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अटवा अली मर्दनपुर के मजरा भैनामऊ में रविन्द्र के खेत से रमाकान्त के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एंव नाली का निर्माण कार्य ।	515	39.65	19.00
54	विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत ग्राम गौरा में डामर रोड से ज्ञानेन्द्र भूषण के घर होते हुए प्यारेलाल सक्सेना के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एंव नाली निर्माण कार्य।	530	46.71	22.00
55	विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम गोसवा में शिवकुमार पुजारी के घर से तुंगनाथ के बाग व विनोद के घर होते हुए बृजबिहारी के घर तक इण्टरलांकिंग रोड एंव नाली निर्माण कार्य।	510	33.89	16.00
56	विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर में सुनील धानुक के घर से गहिरा पुलिया माइनर तक	509	43.95	21.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।			
57	फर्रूखाबाद मार्ग से सरेसर गांव के दक्षिण में मंगली मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	500	44.10	21.00
58	ग्राम मिरगावां में होरीलाल भदौरिया के मकान से प्राथमिक पाठशाला मिरगावां होते हुये दीपक द्विवेदी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	600	65.37	31.00
59	ग्राम महमूदपुर में सती माता मन्दिर मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	600	50.26	24.00
60	सवायजपुर सिमरिया मार्ग से शिवम सिमरिया के मकान तक डामरीकरण कार्य।	1150	98.58	47.00
61	सवायजपुर में गोवर्धनी माता मन्दिर डामर रोड के किनारे चारो तरफ होते हुए भैलामऊ मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य।।	735	73.97	36.00
62	ग्राम वडौरा में सर्वेश सिंह के मकान से काली माता मन्दिर ब्रंहमदेव स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	900	75.15	36.00
63	ग्राम लखनौर में सुमित शुक्ला अनूप अग्निहोत्री के मकान होते हुये वृजनन्दन मिश्रा मुकेश अग्निहोत्री के मकान के पास से कमलेश गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	520	33.64	16.00
64	ग्राम दुलारपुर में प्रा0 विद्यालय से सियाराम भुर्जी के मकान होते हुये झब्बू के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	500	47.21	23.00
65	विसूढ़ा से पंचमखेड़ा सम्पर्क मार्ग इण्टरलाकिंग व नाली।	500	46.69	22.00
66	राममदारपुर डामर रोड से मधुराम के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	500	46.72	22.00
67	गोनी प्राथमिक विद्यालय से पंचायत भवन शब्बीर के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	500	44.78	21.00
68	श्यामदासपुर चैराहा से नहर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	580	49.36	24.00
69	जनिगांव भीखपुर ऐमा मार्ग से जैतापुर गांव भगवानदीन घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	500	37.02	18.00
70	हरिपालपुर पट्टी सम्पर्क मार्ग से मदनापुर गांव तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	900	56.72	27.00
71	परागहीखेड़ा से पिथानखेड़ा तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	770	57.54	28.00
72	ग्राम मण्डौली नकटी देवी मन्दिर से राज कुमार के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	340	33.52	16.00
73	ग्राम भोगीपुर ग्रा0पं0 महुआडांडा अर्जुन के घर से काशी प्रसाद शुक्ला इण्टरलाकिंग।	575	51.06	25.00
74	ग्राम सोनिकपुर बाडेश्वर मन्दिर कालिका माता मन्दिर तक ।	860	77.75	37.00
75	विकास खण्ड भरावन के ग्राम पंचायत हाजीपुर के मजरा	505	44.61	21.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	बसहिया सार्वजनिक शौचालय से किशन के बाग तक द इण्टरलाकिंग कार्य।			
76	विकास खण्ड भरावन के माल कोथावां रोड से नरेन्द्र बाजपेई के मार्केट के सामने से अजमतपुर गांव तक इण्टरलाकिंग कार्य।	932	72.54	35.00
77	विकास खण्ड भरावन के औना देवकली सम्पर्क मार्ग से डालखेडा गांव तक इण्टरलाकिंग कार्य	590	52.25	25.00
78	विकास खण्ड भरावन के ग्राम गोटईया में नहर पुलिया होते हुये कल्याणश्वर महादेव मंदिर से मुनुउ यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	507	35.65	17.00
79	विकास खण्ड भरावन के ग्राम सभा पवाया में भरावन हडहा मार्ग से पवाया भगवन्तपुर मार्ग तक होते हुये दिनेश मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	542	39.20	19.00
80	विकास खण्ड कोथावां के ग्राम फरेंदा में श्री पदुम सिंह महाविद्यालय खमरामउ मल्हेरा सण्डीला हरदोई से रामगोपाल सेठ के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	580	40.38	19.00
81	विकास खण्ड कछौना के ग्राम शमशपुर में विजय सिंह के घर से बालाजी मंदिर होते हुए महेश मढिया डामर रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य।	530	33.33	16.00
82	विकास खण्ड कछौना के कछौना गौसगंज मार्ग से पलिया डीह तक इण्टरलाकिंग कार्य।	505	33.76	16.00
83	विकास खण्ड कछौना के दुगनई से मवई तक डामरीकरण कार्य।	1200	82.05	39.00
84	विकास खण्ड भरखनी के ग्राम सवायजपुर के मजरा वृदावन में मुख्य मार्ग से श्यामवीर सिंह के मकान होते हुए मिरगावां सवायजपुर सम्पर्क मार्ग तक निर्माण कार्य	601	42.58	20.00
85	**विकास खण्ड हरियावां के ग्राम पंचायत कुरसेली के मजरा कोदरा में सामुदायिक भवन/उत्सव भवन का निर्माण कार्य।**	1 अदद	19.88	10.00
86	ग्राम पलिया में पलिया चैसार मार्ग से पलिया पुरानी बाजार तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य	520	45.82	22.00
87	ग्राम दानपुर में जिया लाल के मकान से प्राथमिक विद्यालय के दक्षिण कोने से होते हुए टीका वाली गली होते हुए जल्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य	570	37.70	18.00
88	ग्राम महोलिया शिवपार में माधुरी पाल सोमनाथ के मकान से अशोक राजवंशी के मकान होते हुए जदुनाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	550	47.16	23.00
89	ग्राम अटवा कटैया सम्पर्क मार्ग से पिपरौंधा पुलिया तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य	660	61.37	29.00
90	ग्राम अम्बारी में जगत पाल के मकान से मुन्ना सिंह के मकान होते हुए दाताराम के मकान तक इण्टरलाकिंग व	750	58.68	28.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	नाली निर्माण			
91	ग्राम निबुआई से ग्राम टिकरा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	840	59.50	29.00
92	ग्राम चांद बेहटा के मजरा हरिपुरवा में दुल्लीचन्द्र के मकान से शारदा गुप्ता के मकान होते हुए ओमकार के मकान से होते हुए ओमप्रकाश गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	510	78.98	38.00
93	ग्राम बहादुर नगर में प्राथमिक विद्यालय से जाजूपारा माइनर नाले की पुलिया तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	610	50.39	24.00
94	ग्राम कोरिया में हरदोई शाहजहापुर रोड से महर्षि विद्या मन्दिर इण्टर कालेज के गेट के आगे भठ्ठा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	600	51.22	25.00
95	हुलासपुर बेरूवा रोड से राम सहाय की दुकान से होते हुए माइनर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य ।	665	42.85	21.00
96	विमल के मकान से विजय के मकान होते हुए विद्यालय कस्तूरबा होते हुए राधाकृष्ण मंदिर तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	500	35.26	17.00
97	राकेश के घर से बनी डामर रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	520	44.09	21.00
98	महरिया/कुतुबपुर में पी डब्लू डी रोड छत्रपाल के खेत से संकर जी देव स्थान होते हुए राम नारायण ठाकुर प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	510	85.01	41.00
99	ठकुरी खेड़ा/सुखन खेडा में लालता प्रसाद के घर से पश्चेश्वर महादेव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	550	56.46	27.00
100	ग्राम कहचारी में नहर पटरी से बाराती के घर से होते हुए बाबू के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	630	60.74	29.00
101	टिकारी अरसेनी डामर रोड से राम औतार के घर के पास से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	510	40.40	19.00
102	सुन्नी बगौड़ा मार्ग से पनुवा गोस्वा सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1500	99.71	48.00
103	सुन्नी बगौड़ा मार्ग से बालामऊ गाव गोविन्द की दुकान से डामर रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	543	39.46	19.00
	योग:	**74334**	**5490.30**	**2634.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
6. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
10. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
12. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
14. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
15. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
16. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
17. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
18. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
19. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
20. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
21. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
22. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
23. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
24. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
25. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
26. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
27. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

28. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-37 एवं 85 पर होने वाला व्यय रू. 58,00,000/-(रूपये अट्ठावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4059608000305-**सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु** मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य तथा शेष कार्यों पर होने वाला व्यय रू. 25,76,00,000/-(रूपये पच्चीस करोड छिहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370301-**ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिये लिये एकमुश्त व्यवस्था** मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:38/2026/515(1)/35-4-2026/35-4002(003)/73/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरदोई।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, हरदोई।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।